नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

खिराज बनाम **धर्मवीर आदि**

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर :– 13/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
12.02.2025	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा धोलपालिया के खाता संख्या 93/92 के खसरा स0 11, 156, 157, 169, 4 की कुल 9.1170है0 बारानी खातेदारी वादभूमि का उभयपक्ष रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी तामिल हेतु 3 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.03.2025 को पेश हो।	प्रा० पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ अतः इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन है। खिराज [illegible] पुत्र [illegible]
25/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं नहीं चाहने बाबत निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रार्थी [illegible] स्टेज पर हो अतः पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर दाखिल [illegible]	[illegible] (रमेश शर्मा, एड)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:17:06 IST
Reason: SelfAttested